



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]  
No. 578]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2008/वैशाख 9, 1930  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2008/VAISAKHA 9, 1930

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)  
(कागज अनुभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2008

का.आ. 1035(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाए।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“83. मैसर्स श्री चक्रा पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड, 4-324, जी ग्राम रागम्पेटा, पेड्डापुलम मंडल, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश राज्य”।

[फा. सं. 4(1)/2008-कागज]

एन. एन. फ़रासद, सचिव

टिप्पणी :—यह आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1106(अ) तारीख 11 अक्टूबर 2004 को सतत प्रकाशित विभाग कागज और उद्योग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Industrial Policy and Promotion)  
(PAPER SECTION)  
ORDER

New Delhi, the 24th April, 2008

S.O. 1035(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2008.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

(1) in item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S.No. 82 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“83. M/s. Shree Chakra Papers (P) Limited, 4-324, G Ragampeta Village, Peddapuram Mandal, East Godavari District, Andhra Pradesh.”

[F. No. 4(1)/2008-Paper]

N. N. FRASAD, Secy.

NOTE :—The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 11th October 2004, and is available on the website of the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India.